27.6.25 पत्रावली पेश। अभियोजन साक्ष्य हेतु।
प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार होकर
जाना जाता है अत: स्वीकार किया जाता है,
विपक्षी निर्णय पूर्वक पेशीकार जरिये
आ-जाना. किया जावे।

पत्रावली कैसल शुमार की जाकर बाद
तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय बइजलास श्रीमती सपना कुमारी (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद
जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 10/2022 तारीख दायरा 05.08.2022

उनवान

1. बहादुर पुत्र किशना जाति बैरवा निवासी ग्राम घानाहेडा तहसील सांगोद।
2. धनराज पुत्र रामसुख जाति बैरवा निवासी ग्राम घानाहेडा तहसील सांगोद।
3. जानकीलाल पुत्र प्रभू जाति बैरवा निवासी ग्राम घानाहेडा तहसील सांगोद।
4. भेरिया पुत्र कान्हा जाति बैरवा निवासी ग्राम घानाहेडा तहसील सांगोद।
5. रमेश पुत्र प्रभू जाति बैरवा निवासी ग्राम घानाहेडा तहसील सांगोद। – प्रार्थीगण

बनाम

1. मोहनलाल पुत्र काल्या जाति कलाल निवासी ग्राम घानाहेडा तहसील सांगोद।
2. हीरालाल पुत्र काल्या जाति कलाल निवासी ग्राम घानाहेडा तहसील सांगोद।
3. फुला बाई पुत्री काल्या जाति कलाल निवासी ग्राम घानाहेडा तहसील सांगोद।
4. कमला बाई पुत्री काल्या जाति कलाल निवासी ग्राम घानाहेडा तहसील सांगोद।
5. रामकन्या पुत्री काल्या जाति कलाल निवासी ग्राम घानाहेडा तहसील सांगोद।
6. रामप्यारी बाई पुत्री काल्या जाति कलाल निवासी ग्राम घानाहेडा तहसील सांगोद।
7. राज्य सरकार लेण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार साहब सांगोद जिला कोटा।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर. टी. एक्ट 1955

उपस्थित :–

श्री नरेन्द्र कुमार विजय (वकील प्रार्थीगण) दिनांक :– 27.6.25

श्री अशोक कुमार जैन (वकील अप्रार्थीगण)

––निर्णय––

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद। जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय का प्रस्तुत किया है कि –

- प्रार्थीगण के संयुक्त खाते व कब्जे काश्त की पैतृक आराजी खसरा नं. 83 रकबा 1.85 हैक्टर ग्राम घानाहेडा तहसील सांगोद में स्थित है। प्रार्थीगण की उक्त आराजी खसरा नं. 83 के पश्चिमी तरफ अप्रार्थीगण के संयुक्त खाते की आराजी खसरा नं 81 रकबा 0.31 हैक्टर स्थित है तथा खसरा नं. 81 के दक्षिण में खसरा नं. 80 एवं खसरा नं. 84 की आराजी स्थित है एवं प्रार्थीगण की आराजी खसरा नं. 83 के दक्षिण में भी खसरा नं 84 की आराजी स्थित है।
- प्रार्थीगण की आराजी खसरा नं. 83 में आने जाने, बैलगाड़ी, ट्रेक्टर आदि लाने, ले जाने का एकमात्र सुखाधिकार का रास्ता पिढियों से खसरा नं. 81 व खसरा नं. 80, 84 के बीच स्थित करीब 15 फुट चौडी मेड पर पश्चिम में स्थित आम रास्ता कांकड से प्रार्थीगण की आराजी खसरा नं 83 तक रहा है, किन्तु अप्रार्थीगण के पिता द्वारा चौथी मेड को फाडकर पहली बार सन् 1985 में रास्ता बन्द करने का प्रयास किया गया। तब प्रकरण ग्राम पंचायत श्यामपुरा में दायर हुआ जिसमे दिनांक 11.09.1985 को ग्राम पंचायत द्वारा निर्णय किया गया कि अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नं. 81 के मध्य की मेड के दक्षिण में खसरा नं. 82 व 84 में 2 फुट चौडा तथा खसरा न. 81 में 7 फुट चौडा कुल 10 फुट चौडा रास्ता कायम रहेगा जिसे खाली छोडा जावे। तत्पश्चात मौके पर इसी प्रकार रास्ता कायम हो गया जिसका प्रार्थीगण उपयोग उपभोग करते रहे। तत्पश्चात अप्रार्थीगण के पिता स्वर्गीय काल्या के बदनीयती आने से उसने सन् 2009 सम्मानीय न्यायालय में प्रार्थीगण को रास्ते से नहीं निकलने देने की नियत से स्थायी निषेधाज्ञा का दावा व प्रार्थना पत्र अ. धा. 212 आरटी एक्ट पेश किया जिसमें प्रार्थीगण द्वारा जवाब दावा पेश कर उक्त रास्ते की आपत्ति ली गई एवं रास्ता बन्द नहीं करने बाबत निवेदन किया। सम्मानीय न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर प्रार्थना पत्र 212 आर.टी एक्ट खारिज कर दिया गया तथा उसे प्रार्थीगण के रास्ते में मदाखलत मजामहत नहीं करने एवं बाधा नहीं पहुंचाने हेतु पाबन्द करने का आदेश हुआ। तत्पश्चात 30.10.2012 को उसका दावा भी खारिज किया गया।
- तत्पश्चात भी प्रार्थीगण उक्त रास्ता का निरन्तर उपयोग उपभोग करते रहे हैं, किन्तु अप्रार्थीगण के पिता स्वर्गीय काल्या द्वारा कई बार उक्त रास्ते को बन्द करने का प्रयास

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

किया तो प्रार्थीगण द्वारा कार्यवाही करने पर प्रशासन द्वारा उक्त रास्ता बार–बार खुलासा करवाया गया। अभी पुनः अप्रार्थी क्र. 1. 2 द्वारा प्रार्थी के उक्त रास्ते में प्रारम्भ में ही पत्थरों का कोट करके रास्ता बन्द कर दिया है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी क्र. 1, 2 से रास्ता खुलासा करने का आग्रह किया किन्तु वे नहीं माने तब प्रार्थीगण द्वारा हमेशा का विवाद समाप्त हो जावे इसलिए उनके समक्ष पैमाईश करवाकर जितनी भूमि रास्ते में निकले उसका नियमानुसार प्रतिकर प्राप्त करके हमारे रास्ते को फिर बन्द नहीं करे लेकिन उन्होंने मना कर दिया तब प्रार्थीगण द्वारा पुलिस थाना सांगोद में, कार्यालय उप जिला कलेक्टर सांगोद में तथा तहसीलदार साहब सांगोद के पास प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर शिकायत की गई। तहसीलदार साहब सांगोद द्वारा प्रार्थीगण से कहा गया कि बार–बार रास्ता बन्द होता है फिर काफी परेशानी होती है और बमुश्किल रास्ता खुलासा होता है। इन सब से बचना है तो धारा 251 (क) आर.टी.एक्ट के तहत न्यायालय उप जिला कलेक्टर में कार्यवाही करें तो रास्ते की भूमि का पैसा जमा हो जायेगा, स्थायी समाधान हो जायेगा और रास्ता भी राजस्व रेकार्ड में दर्ज हो जायेगा।

- ❖ प्रार्थीगण सीधे साधे कमजोर गरीब व्यक्ति हैं, जबकि अप्रार्थीगण ताकतवर गिरोह वाले लडाकू व्यक्ति हैं जिनसे प्रार्थीगण मुकाबला करने में असक्षम हैं तथा बार–बार विभिन्न कार्यवाहीयों में उलझते हैं, इसलिए स्थायी समाधान हेतु उक्त सुझाव उपयुक्त होने से प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र सम्मानीय न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया है।
- ❖ प्रार्थीगण के खेत खसरा नं. 83 में आने–जाने, ट्रेक्टर ट्रॉली आदि लाने ले जाने हेतु उक्त रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता विद्यमान नहीं है तथा ये रास्ता बन्द होने पर खेत पर जाना सम्भव नहीं है। खेत पडत रहने की पूरी सम्भावना है तथा प्रार्थीगण को अपरिमित क्षति होगी, इसलिए हमेशा के लिए रास्ते की समस्या दूर हो एवं गैर मुमकिन रास्ता के रुप में राजस्व रेकार्ड व नक्शे में भी दर्ज हो इसके लिए अप्रार्थीगण की आराजी की पैमाइश होकर जितनी भूमि रास्ते में निकले उसकी प्रतिकर राशि भी नियमानुसार प्रार्थीगण भुगतान करने को तत्पर है। उक्त 10 फुट रास्ते में खसरा नं. 82 व 84 में से 2 फुट व 2 फुट की मेड है जिस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त अनुसार प्रार्थीगण उक्त रास्ता विधि अनुसार घोषित करवाकर दर्ज करवाना चाहते है। इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- ❖ अतः उपरोक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम घानाहेडा में स्थित सरकारी कांकड मुख्य रास्ते से पूर्व की तरफ अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नं. 83 तक आने जाने,

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

ट्रेक्टर ट्रोली आदि लाने ले जाने का 10 फुट चौडा रास्ता जिसमे खसरा नं. 80 व 84 में 2 फुट चौडा व 2 फुट बीच की मेड जो कि आपत्ति रहित है तथा शेष रास्ते की भूमि अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नं. 81 में होने के कुल 10 फुट चौडा रास्ता घोषित किया जावें तथा उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड व नक्शा में गै. मु. रास्ते के रुप में दर्ज करवाया जावे एवं जो भी प्रतिकर राशि विधि के अनुसार रास्ते में अप्रार्थीगण की भूमि की बनती हो उसे निश्चित कर सम्मानीय न्यायालय के समक्ष प्राप्त करने हेतु अप्रार्थीगण 1 ता 6 को आदेशित किया जावें। उक्त प्रकरण में निर्णय होकर पालना होने तक उक्त रास्ते के प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा कारित नहीं करने हेतु अप्रार्थीगण 1 ता 6 को पाबन्द किया जावे।

❖ उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी सं. 1 ता 7 की तलबी हो चुकी है। अप्रार्थी सं. 1 ता 6 की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक कुमार जैन द्वारा वकालतनामा एवं जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

❖ अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब अनुसार ग्राम पंचायत श्यामपुरा से किसी भी प्रकार का फैसला नहीं हुआ है, प्रार्थीगण द्वारा जबरन रास्ता कायम करने के प्रयास करने पर प्रार्थीगण के पिता श्री काल्या द्वारा पूर्व मे सन 2009 के लगभग वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया था, जिसमें प्रार्थना पत्र 212 आर टी एक्ट पेश किया था, उक्त वाद का कोई निर्णय नहीं हो सका, क्योकि उक्त वाद दिनांक 30.10.2012 को अप्रार्थीगण के पिता व उनके वकील साहब की अनुपस्थिति दर्ज कर खारिज कर दिया गया। इसके उपरान्त प्रार्थीगण ने पुनः हल्का पटवारी की मदद से अप्रार्थीगण के खाते की भूमि खसरा नं. 81 में रास्ता कायम करने का प्रयास किया, जिसको रूकवाने के लिए अप्रार्थीगण ने दिनांक 11.3.2020 को माननीय न्यायालय मे एक वाद अन्तर्गत धारा 188 आर टी एक्ट पेश किया, जो कि वर्तमान में भी विचाराधीन है।

❖ प्रार्थीगण का उक्त स्थान पर रास्ता कभी भी नहीं रहा है, प्रार्थीगण ने उक्त कार्यवाही से पूर्व इस न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र बाबत अप्रार्थीगण से रास्ता दिलाया जाने हेतु प्रस्तुत किया था, जिस पर उपखण्ड अधिकारी कनवास, जिनके पास उपखण्ड अधिकारी सांगोद का भी अतिरिक्त प्रभार था, ने समझाईश करते हुए दिनांक 18.08.2022 को आदेश पारित करते हुए अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थीगण के खेत में पहुंचने के लिए रास्ता दिया जाने का आदेश पारित किया गया था। साथ ही यह आदेश भी किया था कि रास्ता चाहने वाले

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

पक्षकार रास्ते में जाने वाली भूमि की एवज में उतनी ही भूमि रास्ता देने वाले खातेदार को माप कर संभलायेंगे, उक्त आदेश आज भी प्रभावशील है, जिसे किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है। इसके बावजूद भी प्रार्थीगण द्वारा पुनः उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आर टी एक्ट अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया है, जो खारिज होने योग्य है। पूर्व में प्रभावशील माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.8.2022 के मौजूद होने से प्रार्थना प्रर्थीगण अस्वीकार है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

❖ प्रकरण में जवाब सरकार प्राप्त हुआ, जिसके अनुसार मुताबिक राजस्व रेकार्ड ग्राम घानाहेडा के खसरा संख्या 83 की रकबा 1.85 हैक्टर भूमि वादी प्रार्थी सह खातेदार बहादूर पुत्र किशना हिस्सा 1/16 जाति बैरवा दर्ज रेकार्ड है। मुताबिक वाद प्रार्थी आराजी खसरा नम्बर 80 रकबा 0.32 हैक्टर, 84 रकबा 2.94 हैक्टर एवं खसरा संख्या 81 रकबा 0.31 की मेड़ से रास्ता चाहता है। मुताबिक वाद प्रार्थी रास्ता 10 फीट में से खसरा सख्या 80, 84 के खातेदारों द्वारा एक चीला देने को राजी है, शेष एक चीला अप्रार्थीगण खातेदार खसरा संख्या 81 मोहनलाल वगै० के विरूद्ध धारा 251 क में वाद दायर किया है। राजस्व रिकार्ड में रास्ता नहीं है एवं वर्तमान मौका स्थिति अनुसार मौके पर रास्ता नहीं है। मुताबिक नक्शा लट्ठा वादी के खसरा नम्बर 83 में, खेती हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। मुताबिक राजस्व नक्शा खसरा 81 की लम्बाई प्रार्थी के खेत तक 150 मीटर है एक चीला प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 81 में चोडाई लगभग 2 मीटर लेने पर आप्रार्थी का प्रभावित रकबा 0.03 है० बनता है। ग्राम घानाहेडा की ऑनलाइन डी.एल.सी दर 1242449 रु. प्रति हैक्टर है। प्रभावित रकबे के 37273 रुपये होते हैं। उक्त रास्ता ही सबसे निकटतम रास्ता बनाया जा सकता है। मौके पर रास्ता नहीं है।

❖ इसके उपरान्त पत्रावली बहस में नियत की गई। दौराने बहस अधिवक्ता उभयपक्षकारान द्वारा प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। मेरे द्वारा बहस सुनी गई एवं पत्रावली का गहनता से विश्लेषण किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड, जवाब सरकार, मौका रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन किया गया।

❖ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 ए, सिंचाई या पहुंच के लिए किसी अन्य खातेदार की जमीन के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन बिछाने या रास्ते बनाने/चौड़ा करने से संबंधित है। यदि किसी काश्तकार को पहुंच के लिए किसी अन्य खातेदार की

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

भूमि से होकर नया या चौड़ा रास्ता बनाने की आवश्यकता है और वे किसी समझौते पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो वे उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकते हैं। संपूर्ण जांच के बाद न्यायालय आवेदक को पाइप लाइन बिछाने या रास्ता बनाने/चौड़ा करने की अनुमति दे सकता है, साथ ही अन्य खातेदार को मुआवजा भी दे सकता है। यह धारा उस स्थिति में समाधान उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई है जब पक्षकार स्वयं सहमत नहीं हो पाते।

❖ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 ए के तहत अनुतोष प्राप्त करने हेतु आवेदक को अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से दो मुख्य बिन्दूओं को सिद्ध करना आवश्यक है –

1. पहुंच की आवश्यकता एक परम आवश्यकता होनी चाहिए, न कि केवल सुविधा के लिए।
2. नए रास्ते के लिए, पहुंच के वैकल्पिक साधनों की अनुपस्थिति को सिद्ध करना होगा।

❖ अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निर्णय दिनांक 18.8.2022 की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास द्वारा पारित किया गया है। तत्समय उपखण्ड अधिकारी कनवास के पास उपखण्ड सांगोद का अतिरिक्त प्रभार होने पर ही तत्समय उक्त प्रकरण न्यायालय सांगोद में प्रस्तुत किये जाने योग्य था ना कि न्यायालय कनवास में। प्रकरण उपखण्ड न्यायालय सांगोद के क्षेत्राधिकार का है ना कि उपखण्ड कनवास के क्षेत्रधारिकार है, इस कारण तत्समय उक्त आदेश उपखण्ड अधिकारी सांगोद द्वारा पारित किया जाना चाहिए था। पक्षकारान द्वारा क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। इस कारण निर्णय दिनांक 18.8.2022 न्यायालय में पठनीय एवं पालना योग्य प्रतीत नहीं होता है। उक्त के अतिरिक्त अप्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई भी साक्ष्य, दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे सिद्ध हो सके कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 ए की समस्त आवश्यक शर्तों की पूर्ति नहीं करता है तथा अस्वीकार किये जाने योग्य है।

❖ हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार सांगोद द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की भूमि तक पहूंचने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण अनुसार कृषि भूमि तक पहूंच मार्ग हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। रास्ते के अभाव में कृषि कार्य में बाधा उत्पन्न होगी तथा प्रार्थीगण को अपरिमित क्षति होने की संभावना है। अतः रास्ते की परम आवश्यकता प्रतीत होती है।

Scanned with OKEN Scanner

❖ प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रकरण सं. 10/09 बउनवान काल्या बनाम बहादुर वगै. अंतर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 16.06.2009 की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि तत्समय भी अप्रार्थीगण की आराजी से प्रार्थीगण का आवागमन होना प्रमाणित कर अप्रार्थीण को प्रार्थीगण के आने जाने में मदाखलत मजामहत नहीं करने हेतु पावन्द करते हुए न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त निर्णय की अपील माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा की गई, माननीय न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 19.02.2010 के माध्यम से रास्ता बंद होने के कारण प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होना मानते हुए अपील खारिज की गई है। इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण द्वारा प्राशसन द्वारा समय समय पर रास्ता खुलासा कराये जाने की रिपोर्ट की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

❖ उक्त समस्त के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण अप्रार्थीगण की आराजी ख.न. 81 एवं ख.न. 80, 84 के मध्य की मेड से आवागमन करते रहे है। प्रार्थीगण के पास स्वयं की आराजी तक पहूंचने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

—: आदेश :—

उपरोक्तानुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 ए के अनुसार नियत निर्धारित शर्तों बाबत किये गये उपरोक्त समस्त विवेचन, अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस के कथनों पर मनन करने और पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का उनके गुणावगुण के आधार पर अधोपांत अवलोकन अध्ययन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र, प्रस्तुत दस्तावेजों आदि के माध्यम से धारा 251 ए के तहत नए रास्ते हेतु आवश्यक आवश्यक शर्तों की पूर्ति की गई है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए आर.टी.एक्ट स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश जारी किये जाते हैं कि –

माल ग्राम घानाहेडा तहसील सांगोद में स्थित अप्रार्थीगण की आराजी ख. न. 81 की दक्षिण मेड पर 150 मीटर लम्बा एवं 2 मीटर चौडा कुल 300 वर्ग मीटर (0.03 हैक्टर भूमि) रास्ता प्रार्थीगण की आराजी ख.न. 83 तक दर्ज किया जावे। उक्त रास्ते की क्षतिपूर्ति हेतु प्रार्थीगण रास्ते हेतु देय भूमि 0.03 है के मूल्य 37273 का दोगुना 74546 रूपये

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

अप्रार्थीगण को भुगतान करें। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को भुगतान करने के उपरान्त ही आदेश की पालना की जावे। उक्त घोषणा के अनुक्रम में राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। तहसीलदार सांगोद द्वारा पत्रांक राजस्व/2024/1232 दिनांक 25.07.2024 के माध्यम से प्रस्तुत रिपोर्ट निर्णय का भाग मान कर पढा जावे। रास्ते हेतु दर्ज भूमि पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार मुक्त होने के उपरान्त ही आदेश की पालना की जावे।

(सपना कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 27.6.25 को खुले न्यायालय मे मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

(सपना कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

Scanned with OKEN Scanner